


18/11/25

पत्रावली में वकील वादी व वादी स्वयं उपस्थित
 होकर प्र. पत्र वाते पत्रावली पेशी पर लेकर
 राजस्व वाड विद्दी करने का पेश किया। श.
 मिसल हो। पत्रावली पेशी पर ली जाक (वादी वकील
 को सुना। प्र. पत्र जरिये निवेदन किया कि प्रकरण में
 हम पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो गया।
 प्रकरण शान्त चलावा नही चाहते है हमने वकील वादी
 को सुना। प्र. पत्र व पत्रावली का अपलोडन किया।
 प्र. पत्र विद्दी का स्वीकार किया जाकर राजस्व व
 जरिये विद्दी जारी किया जात है। पत्रावली प्रदल
 शुमार होकर साखिले इफतर हो एवं नम्बर ले कर हो।

दि. 12/11/25
 48 यान्कर
 गलेन


 सहायक कलक्टर
 (SDO) चौहटन